(5) स्वः रोजगार

Self Employment to Disabled

उद्देश्य विकलांगों को स्वः रोजगार स्थापित करके आत्म–निर्भर बनाने हेतु।

पात्रता ऐसे व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 1.60 लाख व शहरी क्षेत्रों में 2.00 लाख रु0 से अधिक न हो।

सहायता योजना के अन्तर्गत पात्र विकलांग व्यक्तियों को लघु औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं जिस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मु0 10000 रु0 या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो भी कम हो) का उपदान उपलब्ध करवाता है।

प्रक्रिया अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम अथवा सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

सम्पर्क–अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, अल्प संख्यक वित्त एंव विकास निगम, जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।